भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3172

06.12.2019 को उत्तर के लिए

समुद्र के जल स्तर में वृद्धि

3172. श्री गौतम सिगामणि पोन :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्र का बढ़ता जल स्तर विशेषकर तटीय निवासियों के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार ने देश के विभिन्न तटीय शहरों पर समुद्र के बढ़ते जल स्तर के प्रभाव संबंधी कोई अध्ययन/आंकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने समुद्र के बढ़ते जल स्तर से तटीय निवासियों की सुरक्षा हेतु कोई कदम उठाए हैं ताकि सबसे अधिक प्रभावित लोगों को अन्यत्र बसाया जा सके और समुद्र के कटाव को रोका जा सके और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार तटीय क्षेत्रों को बचाने के लिए तटीय राज्यों को समुद्री कुंओं के निर्माण और अन्य उपचारों के लिए कोई वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो विगत पांच वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दी गई ऐसी सहायता का वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) से (ग) देश में तटीय क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का आकलन करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र (एनसीसीआर), पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भौगोलिक क्षेत्रों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों तथा तटीय क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक प्रभावों के आकलन हेतु एक निर्णय समर्थन प्रणाली विकसित कर रहा है।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा सभी तटीय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए तटीय सुरक्षा उपायों संबंधी दिशा-निर्देशों के साथ-साथ तटीय सुरक्षा हेतु एक राष्ट्रीय कार्यनीति तैयार की गई है। इस मंत्रालय ने एकीकृत तटीय ज़ोन प्रबंधन परियोजना (आइसीजेडएमपी) के तहत अंतर-ज्वारीय क्षेत्रों सहित देश की संपूर्ण तटीय पट्टी से लगे क्षेत्र में जोखिम रेखा का सीमांकन किया गया है। जोखिम रेखा, जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र के जल स्तर में वृद्धि सहित तटरेखा संबंधी परिवर्तनों की सूचक होती है तथा एक लंबी समयावधि अर्थात 100 वर्षों में समुद्र जल स्तर में वृद्धि के कारण पड़ने वाले प्रभाव तथा तटरेखा संबंधी परिवर्तनों का प्रक्षेपण है। संबंधित तटीय राज्य अभिकरणों द्वारा इस रेखा का, अनुकूली और उपशमन उपायों की आयोजना सहित तटीय पर्यावरण के लिए आपदा प्रबंधन हेतु एक साधन के रूप में उपयोग करना अपेक्षित होता है।

(घ) और (ड.) इस मंत्रालय ने आइसीजेडएमपी के तहत गुजरात, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में पांच (05) अभिज्ञात तटीय भागों के लिए तटरेखा प्रबंधन योजनाएं तैयार की हैं। तटीय क्षेत्रों को अपरदन से सुरक्षित करने के लिए प्रमुख कार्यकलापों के रूप में अनेक पहलें की गईं हैं जैसे कि लगभग 16000 हैक्टे. पर मैंग्रूव रोपण, 1900 हेक्टे. पर शेल्टर-बैल्ट रोपण और 500 मीटर की दूरी पर जिओ-ट्यूब की संस्थापना आदि।

उपर्युक्त कार्यकलापों के लिए गत पांच वर्षों में उपगत व्यय का ब्यौरा निम्नानुसार है :

(रुपये करोड़ में)

राज्य	**2014-15**	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**
गुजरात	7.99	0.15	0.16	0.40	0.41
ओडिशा	7.52	12.52	16.57	0.87	0.05
पश्चिम बंगाल	0.3	0.48	0.82	-	-

****